(112)

प्रकरण क्रमांक /रिविजन/ 17

माननीय राजस्व मंडल न्यायालय केंप इंदौर

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/0235

दामोदर पिता लुणा सिर्वी
उम्र 45 साल धंधा काश्तकारी
निवासी- ग्राम लुहारी ते0 कुक्षी
जिला- धार म.प्र. प्रार्थी / प्रत्यर्थी

विरूद्ध

1-श्रीमती शांतीबाई पति स्व0 जगदीश सिर्वी
उम्र 42 साल धंधा काश्तकारी
2-कु0 करूणा पिता स्व0 जगदीश आयु 23 वर्ष
3-कु0 मनीषा पिता स्व0 जगदीश आयु 20 वर्ष
4-कु0 निवेदिता पिता स्व0 जगदीश उम्र 11 वर्ष
निवासी- सभी ग्राम लुहारी ते0 कुक्षी जि. धार
जिला- धार म.प्र. प्रतिप्रार्थी / अपीलार्थी
5-लुणा पिता काना सिर्वी उम्र 70 वर्ष
6-रामेश्वर पिता लुणा सिर्वी उम्र 35 वर्ष
धंधा काश्तकारी
सभी निवासी-ग्राम लुहारी ते0 कुक्षी जि0 धार प्रतिप्रार्थी /प्रत्यर्थी

रिविजन धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

उपरोक्त प्रार्थी अधिनस्त राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला धार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अपील/16-17 में दिनांक 27-10-17 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह रिविजन नियत अवधि में नियत न्याय शुल्क पर प्रस्तुत करता है। अधिनस्त न्यायालय के आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रस्तुत है व रिविजन नियत अवधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/नि/धार/भूरा/18/235 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—1—2018	आवेदक अधिवक्ता श्री नीलेश कुमार गंगवाल उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला धार के आदेश दिनांक 27—10—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का भार प्रत्यर्थी पर डाला गया है, जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का यह भार अपीलार्थी के ऊपर डाला जाये । अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	